



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़. (राज.)

पीपीसीन अधिकारी

डॉ. अंजली राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	प्रार्थी	उनवान	अप्रार्थी
1	73/2024 2024/97	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री प्रकाश पिता देवीलाल तुलसा पत्नि प्रकाश मीणा, टीमरवा	
2	67/2024 2024/91	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री नारूलाल पिता नानजी मीणा धर्माबाई पत्नि नारूलाल मीणा	
3	76/2024 2024/100	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री कंवरलाल पिता लालुराम मीणा कंचनबाई पत्नि कंवरलाल मीणा, टीमरवा	
4	56/2024 2024/80	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री रामलाल पिता झमक मीणा कलाबाई पत्नि रामलाल मीणा, टीमरवा	
5	72/2024 2024/96	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री आशाराम पिता देवजी मीणा लापुडीबाई पत्नि आशाराम मीणा, टीमरवा	
6	53/2024 2024/77	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री आशाराम पिता भैरा पार्वती पत्नि आशाराम मीणा, छोटीबम्बोरी	
7	33/2024 2024/57	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	चन्दा बाई पत्नि देवा मीणा, मणावला	
8	57/2024 2024/81	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	रामकन्या पति रूपलाल मीणा, छोटीबम्बोरी	
9	22/2024 2024/46	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री शंकरलाल पिता धारजी अवंतिबाई पति शंकरलाल, टीमरवा	
10	69/2024 2024/93	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री राजुलाल पिता देवीलाल ललिता पत्नि राजुलाल मीणा, टीमरवा	
11	65/2024 2024/89	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	सीमा पत्नि कन्हैयालाल मीणा, टीमरवा	
12	49/2024 2024/73	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	मंगलीबाई पत्नि अमृतराम मीणा, छोटीबम्बोरी	
13	63/2024 2024/87	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री ईश्वरलाल पिता आशाराम केवरीबाई पत्नि ईश्वरलाल मीणा, टीमरवा	
14	18/2024 2024/42	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री कन्हैयालाल पिता हिरालाल सीमा पत्नि कन्हैयालाल मीणा, टीमरवा	
15	10/2024 2024/34	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री तोलाराम पिता आशाराम सनाबाई पति तोलाराम, टीमरवा	
16	28/2024 2024/52	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री कन्हैया पुत्र वर्जीगा श्रीमती रामीबाई पत्नि कन्हैया मीणा, करमदीखेडा	
17	25/2024 2024/49	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री सुन्दरबाई पत्नि नन्दलाल मीणा, करमदीखेडा	
18	29/2024 2024/53	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री कारु पुत्र तोलाराम श्रीमती कालीबाई पत्नि कारूलाल मीणा, मणावला	
19	40/2024 2024/64	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	गंगाबाई पत्नि लक्ष्मण लाल मीणा निवासी करमदीखेडा	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :-

- श्री पैरोकार सरकार
- अधिवक्ता श्री पियुष मोहन सोमानी

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

—: आदेश :-

दिनांक :-12/03/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/विपक्षी/आवंटीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021-2022 के दौरान निम्नांकित अनुसार किये गये आवंटनों के संबंध में राज्यादेश से जिला कलक्टर द्वारा गठित आवंटन एवं नामान्तरकरण जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त समस्त प्रकरणों को निरस्त योग्य बताया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमि आवंटन प्रकरणों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	आवंटीगण	मिसल संख्या एवं आदेश दिनांक	राजस्व गांव	आवंटित भूमि	कुल रकबा है. में	मेंसे आवंटित भूमि है. में
1	श्री प्रकाश पिता देवीलाल तुलसा पत्नि प्रकाश मीणा, टीमरवा	235 / 02.09.2022	टीमरवा	146 / 784 / 187	0.70 / 1.30	0.70 / 1.30
2	श्री नारूलाल पिता नानजी मीणा धर्माबाई पत्नि नारूलाल मीणा	241 / 02.09.2022	टीमरवा	796 / 236	0.50	0.50
3	श्री कंवरलाल पिता लालुराम मीणा कंचनबाई पत्नि कंवरलाल मीणा, टीमरवा	246 / 02.09.2022	टीमरवा	390 / 215 / 763 / 216	0.16 / 0.37 / 0.43	0.16 / 0.37 / 0.43
4	श्री रामलाल पिता झमक मीणा कलाबाई पत्नि रामलाल मीणा, टीमरवा	237 / 02.09.2022	टीमरवा	278 / 448 / 793 / 324 / 804 / 774	0.24 / 1.40 / 0.20	0.54 / 1.40 / 0.20
5	श्री आशाराम पिता देवजी मीणा लापुडीबाई पत्नि आशाराम मीणा, टीमरवा	238 / 02.09.2022	टीमरवा	230 / 234	0.54 / 0.53	0.54 / 0.53
6	श्री आशाराम पिता भैरा पार्वती पत्नि आशाराम मीणा, छोटीबम्बोरी	79 / 25.04.2022	छोटीबम्बोरी	356 / 581 / 359 / 885 / 481 / 887 / 484	0.12 / 0.09 / 0.15 / 0.40	0.12 / 0.09 / 0.15 / 0.40
7	चन्दा बाई पत्नि देवा मीणा, मणावला	88 / 25.04.2022	मणावला	505 / 496	0.50	0.50
8	रामकन्या पति रूपलाल मीणा, छोटीबम्बोरी	73 / 25.04.2022	छोटीबम्बोरी	883 / 469	0.20	0.20
9	श्री शंकरलाल पिता धारजी अवंतिबाई पति शंकरलाल, टीमरवा	242 / 02.09.2022	मनोहरगढ़	788 / 119 / 790 / 783	0.20 / 0.50	0.20 / 0.50
10	श्री राजुलाल पिता देवीलाल ललिता पत्नि राजुलाल मीणा, टीमरवा	239 / 02.09.2022	टीमरवा	377 / 389 / 629	0.20 / 0.11	0.20 / 0.11
11	सीमा पत्नि कन्हैयालाल मीणा, टीमरवा	244 / 02.09.2022	चतरियाखेडी	398 / 399	0.52 / 0.26	0.52 / 0.26
12	मंगलीबाई पत्नि अमृतराम मीणा, छोटीबम्बोरी	84 / 25.04.2022	छोटीबम्बोरी	919 / 524 / 913 / 518 / 915 / 522 / 917 / 523	0.03 / 0.25 / 0.30 / 0.05	0.03 / 0.25 / 0.30 / 0.05
13	श्री ईश्वरलाल पिता आशाराम केवरीबाई पत्नि ईश्वरलाल मीणा, टीमरवा	243 / 02.09.2022	टीमरवा	795 / 325	0.24	0.24



Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Pratapgarh. The stamp text reads 'जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)' (District Collector, Pratapgarh (Raj.)).

14	श्री कन्हैयालाल पिता हिरालाल सीमा पत्नि कन्हैयालाल मीणा, टीमरवा	236 / 02.09.2022	टीमरवा	392	0.61	0.61
15	श्री तोलाराम पिता आशाराम सनाबाई पति तोलाराम, टीमरवा	230 / 02.09.2022	टीमरवा	406 776 / 371	0.98 0.30	0.98 0.30
16	श्री कन्हैया पुत्र वर्जीगा श्रीमती रामीबाई पत्नि कन्हैया मीणा, करमदीखेडा	98 / 25.04.2022	करमदीखेडा	34	0.14	0.14
17	श्री सुन्दरबाई पत्नि नन्दलाल मीणा, करमदीखेडा	95 / 25.04.2022	करमदीखेडा	148	0.42	0.42
18	श्री कारु पुत्र तोलाराम श्रीमती कालीबाई पत्नि कारूलाल मीणा, मणावला	94 / 25.04.2022	करमदीखेडा	27	0.66	0.66
19	श्रीगंगाबाई पत्नि लक्ष्मण लाल, करमदीखेडा	97 / 25.04.2022	करमदीखेडा	234 / 82	0.30	0.30

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी आवंटीगण कि ओर से उपस्थित अधिवक्ता एवं उपस्थित आवंटीगणों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विधिवत् सूनवाई के अवसर प्रदान कराते हुए प्रत्येक आवंटी की व्यक्तिशः सुनवाई की गई उक्त दौरान उपस्थित आवंटीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज बाबत कब्जा काश्त एवं अन्तरण तथा जवाब प्रार्थना पत्रों को रिकार्ड पत्रावली पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि आवंटन प्रकरणों के संबंध में जिला कलक्टर महोदय स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित बिन्दुओं तथा आवंटित भूमियों के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति तथा भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में विहित प्रावधानों की समुचित पालना किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति प्रतापगढ़ द्वारा राजकीय भूमियों का आवंटन किया गया है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य होकर विवादित समस्त आवंटन निरस्त योग्य होने से खारीज फरमावें।

इसी परिपेक्ष्य में उपस्थित अधिवक्ता एवं अधिकाशं अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा दौराने सूनवाई एवं बहस अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटित भूमियों पर निरन्तर कब्जा-काश्त के आधार पर प्राप्त नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लिखित एवं मौखिक जवाब का हवाला देते हुए निवेदन किया कि आवंटित भूमियों पर हमारा लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किये जाने पर भूमि आवंटन किये गये हैं। जिसे यथावत् रखा जावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत संदर्भित प्रार्थना पत्रों तथा संलग्न रिकार्ड दस्तावेज के साथ साथ विवादित आवंटन प्रकरणों के संबंध में प्राप्त विविध शिकायत एवं जांच प्रार्थना पत्रों दिनांक 10.01.2024 एवं 31.01.2024 तथा आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 एवं 12.04.2024 तथा आवंटन मिशलों तथा आवंटित भूमियों वस्तु स्थिति रिपोर्ट एवं दर्ज गैर-खातेदारी नामान्तरकरणों के साथ साथ प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश पत्रांकों राजस्व (गुप-3) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25.04.2024 व 02.07.2024 एवं 24.08.2024 तथा राज्य विशेष शाखा अपराध जांच विभाग राजस्थान जयपुर से तलब रिपोर्ट पत्र दिनांक 14.06.2024 सहित प्रकरण में प्रचलित राजस्व विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान :- 2021-22 के दौरान राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किये आवंटन एवं नियमन हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रस्तावित समस्त कार्यवाहियों की अक्षरक्ष : पालना नहीं की गई है इन तथ्यों की संपुष्टि तथा आवंटन हेतु उद्घोषित भूमियों के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थितियों परिस्थितियों को संज्ञान में नहीं लाया जाकर संबंधित पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूमियों को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दिया जाना दर्शित रिकार्ड पाया गया है।



म
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

इसी प्रकार देखने रिकार्ड आवंटन कार्यवाही एवं आवंटन मिश्रणें संज्ञान में आया कि प्रस्तुत आवेदनों को नियमानुसार दर्ज रिकार्ड एवं सूचिबद्ध नहीं किया गया था तथा आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमियों के सड़क सीमा की अथवा प्रतिबंधित श्रेणी में निहित होने अथवा रास्ता बाधित और रास्ता विवाद निर्मित करने वाली या पट्टी पठार छोटी पट्टी आवंटन के रूप में निलामी योग्य होने संबंधि जानकारियों को रिकार्ड पर लाये बिना आवंटन हेतु प्रस्तावित एवं आवंटित की गई जिससे भविष्य में कई राजस्व एवं सिविल विवाद व्युत्पन्न होना संभावित हो गया है। साथ ही ऐसी भूमियों के आवंटन के दौरान मौके पर काबिज व्यक्तियों से पृथक व्यक्तियों तथा आवंटित भूमियों के मूल राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतों से पृथक ग्रामवासीयों को आवंटन किया जाना भी विवाद्यक रहा है तथा आवंटन कार्यवाहियों के संबंध में नियमानुसार रिकार्ड संधारण नहीं करते हुए आवंटन सलाहकार समितियों की बैठक कार्यवाही विवरण समुचित तरिके से आवंटन कार्यवाही के साथ लिपिबद्ध नहीं किया जाकर उपस्थिति/अनुपस्थित सदस्यों की पुष्टि नहीं किया जाना भी किये जाने आवंटनों को विवादित बनाता है।

प्रस्तुत प्रकरणों में आवंटित भूमियों में से शत प्रतिशत भूमियों के पूर्व से काबिज काश्त होने की स्थिति में उक्त भूमियों के आवंटन से गैर-खातेदारी के बजाय सद्भाविक कब्जा-काश्त एवं आवंटि की पात्रता अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहत नियमन कार्यवाही करते हुए नियमन हेतु देय राजकीय शुल्क राशियों को नियत राजस्व मद में जमा कराये जाने उपरान्त नियमन कार्यवाही प्रक्रिया प्रस्तावित की जानी चाहीये थी जिससे राजकीय राजस्व आय के साथ साथ सद्भाविक एवं उचित आवंटियों/अतिक्रमियों के विरुद्ध संचालित धारा 91 की कार्यवाही समाप्त होकर राजकीय भूमियों का उचित प्रबंधन किया जा सकता था। किन्तु अपनाई गई प्रक्रिया से राजस्व हानी कारीत हुई है। इसके विपरीत आवंटन कार्यवाही किया जाना प्रचलित विधियों का अतिलंघन है। इसके अतिरिक्त अवैधानिक अतिक्रमियों को आवंटन किया जाना अनुचित प्रतीत होता है।

इस संबंध में आवंटन जांच कमेटी की रिपोर्ट्स में उल्लेखित तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं की अनुसरण में प्रार्थी/तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समान प्रक्रिया एवं समान बिन्दुओं पर विरुद्ध अप्रार्थी/आवंटीगण समुचित रूप से सिद्ध होकर स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी/आवंटीगण स्वीकार किये जाकर प्रकरण में संदर्भित समस्त विवादित आवंटनों को निरस्त किया जाता है और तहसील प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आवंटनों के प्रतिफल स्वरूप अवैध आवंटियों के नाम दर्ज राजकीय भूमियों की गैर-खातेदारियां विलोपित कर आवंटित भूमियों को पुनः राजकीय खाते में दर्ज की जावें। पत्रावलियां फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को सरेइजलास सूनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया है।



(डॉ अंजलि राजौरिया)
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़